राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13023/2022

राजू राम कोडेचा पुत्र श्री भीखा राम कोडेचा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट जैसिंधर स्टेशन, तहसील गदरा रोड, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति गदरा रोड, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जोधपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री त्रिलोक जोशी

श्री सुशील बिश्नोई

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सरवन कुमार

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/04/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य लाभों के विलंबित भुगतान पर उसकी पात्रता की तिथि से प्रभावी ब्याज प्रदान करें।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि याचिका में कहा गया है

2.1 याचिकाकर्ता को शुरू में एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 2007 में "पेटी वेटन" के आधार पर हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद, 12.06.2013 के एक आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को रिक्ति वर्ष 2009-2010 के लिए उसी पद पर पुष्टि की गई।

2.2 प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होने पर याचिकाकर्ता ने पेंशन और अन्य सेवा लाभों के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 08.01.2022 के आदेश के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश, ग्रेच्युटी राशि और अवकाश नकदीकरण जारी किया।

2.3 पेंशन और ग्रेच्युटी राशि का वितरण करते समय प्रतिवादियों ने देय राशि को संशोधित किया। इसके अतिरिक्त, ग्रेच्युटी की कुल स्वीकृत राशि को संशोधित किया गया। याचिकाकर्ता ने बार-बार विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से शिकायतें प्रस्तुत कीं, प्रतिवादी अधिकारियों से उसकी वैध पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को मंजूरी देने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

3. जवाब में आधार यह है कि याचिकाकर्ता 31.01.2021 को प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद से सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता का पेंशन मामला मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गडरा रोड, बाड़मेर द्वारा 27.01.2021 को पेंशन विभाग, बीकानेर को भेजा गया था। पेंशन विभाग ने 25.02.2021 को पत्र के माध्यम से उनके मामले के निपटान के संबंध में कुछ आपत्तियाँ उठाईं।

3.1 इसके बाद, आवश्यक कार्यवाही की गई और याचिकाकर्ता के पेंशन दस्तावेज 21.04.2021 को पेंशन विभाग को फिर से भेजे गए। पेंशन विभाग ने 26.05.2021 और

26.07.2021 को पत्रों के माध्यम से फिर से कुछ आपत्तियाँ उठाईं। शिक्षा विभाग द्वारा सभी आपत्तियों का समाधान किया गया। पेंशन मामले के निपटान में कोई जानबूझकर या जानबूझकर देरी नहीं की गई थी, और इसलिए, तत्काल रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और मामले की फाइल देखी है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा याचिकाकर्ता को उसकी पेंशन बकाया राशि और नियमित मासिक पेंशन के विलंबित प्रेषण के लिए देय ब्याज है। निर्विवाद तथ्यों से, यह उभर कर आता है कि पेंशन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण विभाग द्वारा वास्तव में देरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप आगे-पीछे पत्राचार हुआ। अंततः, आपत्तियों को संतुष्ट करने के बाद, याचिकाकर्ता को आवश्यक प्रेषण किया गया।

6. सेवा नियमों में विशिष्ट प्रावधान ऐसी स्थितियों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया राशि उनकी सेवानिवृत्ति से काफी पहले संसाधित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

7. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि पेंशन न तो एक इनाम है, न ही दान, न ही राज्य द्वारा उदारता का वितरण। यह दशकों की सेवा के बाद कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जो सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होता है।

8. सेवानिवृत्ति से काफी पहले पेंशन के प्रेषण की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में, पेंशन नियम, 1996 के नियम 80 और नियम 81 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो नीचे उद्धृत हैः -

> “80. पेंशन कागजात तैयार करना
>
> प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को फॉर्म 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व या सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर जाने की तिथि से, जो भी पहले हो, करना होगा।

81. पेंशन पत्रों को पूरा करने के चरण

(1) कार्यालयाध्यक्ष नियम 80 में निर्दिष्ट दो वर्ष की प्रारंभिक कार्य अवधि को निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित करेगा:

क) प्रथम चरण:**-1.** सेवा का सत्यापन**:**

(i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका का गहन अध्ययन करेगा तथा स्वयं को संतुष्ट करेगा कि क्या सम्पूर्ण सेवा के सत्यापन प्रमाण-पत्र उसमें दर्ज हैं।

(ii) सेवा के असत्यापित भाग या भागों के संबंध में, वह वेतन बिलों, बरी करने वाले रोल या अन्य सुसंगत अभिलेखों के संदर्भ में, यथास्थिति, ऐसी सेवा के भाग या भागों को सत्यापित करने की व्यवस्था करेगा तथा सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि के लिए सेवा उप-खण्ड (i) और उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित करने योग्य नहीं है, तो सेवा की वह अवधि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय या विभाग में की गई है, सत्यापन के प्रयोजन के लिए उस कार्यालय के प्रमुख को संदर्भित किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा उस अवधि के दौरान सेवा की गई है।

(iv) सेवा के उस असत्यापित हिस्से के संबंध में जिसके लिए वेतन की दर, वार्षिक वेतन वृद्धि का अनुदान, वेतन निर्धारण, छुट्टी की अवधि का विवरण आदि को विनियमित करने वाली प्रविष्टियाँ उपलब्ध हैं, वह उपरोक्त विवरणों के आधार पर उनका सत्यापन करेगा और उन्हें सेवा पुस्तिका में दर्ज करेगा।

(v) नियमित पदों पर नियुक्त कार्यभारित कर्मचारियों के संबंध में, वह यह जांच करेगा कि उसके द्वारा दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पेंशन का विकल्प सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है तथा नियोक्ता अंश अंशदायी भविष्य निधि को सरकारी खाते में जमा करने के लिए सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां मौजूद हैं।

(vi) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का कोई भाग उप-खण्ड (I) या उप-खण्ड (ii) या उप-खण्ड (iii) या उप-खण्ड (iv) में निर्दिष्ट

तरीके से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो सरकारी कर्मचारी को सादे कागज पर प्रपत्र 9 में लिखित कथन दाखिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि उसने वास्तव में सेवा की वह अवधि पूरी की है, तथा कथन के नीचे, उस कथन की सत्यता के बारे में घोषणा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा, तथा ऐसी घोषणा के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा वह सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसे प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने की उसकी शक्ति है।

(vii) कार्यालयाध्यक्ष, लिखित कथन में तथ्यों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों और उक्त सेवा अवधि के समर्थन में सरकारी सेवक द्वारा दी गई सूचना पर विचार करने के पश्चात, उस सेवा अवधि को उस सरकारी सेवक की पेंशन की गणना करने के प्रयोजनार्थ किया गया माना जाएगा तथा प्ररूप 9ए में आदेश जारी कर सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।

नोट: सेवा पुस्तिका के खो जाने की स्थिति में, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

II. दीर्घकालीन बकाया राशि का आकलन**:**

(viii) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि जैसे दीर्घकालीन अग्रिम लिए हैं, वे नियम 94 के अंतर्गत प्रक्रिया में दर्शाए अनुसार संबंधित कोषागार अधिकारी से पत्राचार करेंगे। वे अंतिम बकाया राशि के आकलन के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में किए गए दीर्घकालीन अग्रिमों की प्रविष्टियों का भी संदर्भ लेंगे। वे सरकारी कर्मचारी से उसके द्वारा लिए गए दीर्घकालीन अग्रिमों का विवरण घोषित करने के लिए भी कहेंगे।

III. लंबित निर्धारण मामलों को अंतिम रूप देना**:**

(ix) यदि विभिन्न वेतनमान नियमों में वेतन का निर्धारण लंबित है, तो कार्यालय प्रमुख उन्हें शीघ्रता से अंतिम रूप देंगे।

(ख) दूसरा चरण:- सेवा पुस्तिका में चूक को पूरा करना तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना।

(i) कार्यालय प्रमुख सेवा के सत्यापन के प्रमाण-पत्रों की जांच करते समय यह भी पता लगाएंगे कि क्या कोई अन्य चूक, अपूर्णता या कमी है, जिसका परिलब्धियों के निर्धारण तथा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली सेवा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(ii) खंड (क) के अनुसार सेवा का सत्यापन पूरा करने तथा इस खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट चूक, अपूर्णता या कमियों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। सेवा पुस्तिका में असत्यापित दर्शाई गई सेवा के भाग सहित कोई भी चूक, अपूर्णता या कमी, जिसे खंड (क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं हो पाया है, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन के लिए अर्हक सेवा का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) परिलब्धियों का निर्धारण परिलब्धियों की गणना के प्रयोजन के लिए, कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका से सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा।

(iv) स्थानापन्न नियुक्ति के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका में यह प्रमाण-पत्र दर्ज करेंगे कि उच्च पद पर नियुक्ति अवकाश रिक्ति में या अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के लिए नहीं की गई है, जैसा कि आर.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 45 (नोट 3) में प्रावधान है।

(v) कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में वरिष्ठ लेखा कार्मिक से सेवा पुस्तिका में यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि सरकारी सेवक के समय-समय पर किए गए सभी निर्धारण सही हैं तथा जिस अंतिम वेतन पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है, वह सही रूप से निर्धारित किया गया है।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि में कोई

भी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया गया है; तथा यह सुनिश्चित करना कि 31.12.1978 के पश्चात सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि में कोई परिवर्तन/परिवर्तन नहीं किया गया है;

(vii) यदि सरकारी सेवक विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर था, तो क्या पेंशन अंशदान उधार लेने वाले प्राधिकारी से प्राप्त हुआ है और इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका या अन्य अभिलेखों में की गई है। कार्यालयाध्यक्ष चूक आदि की पहचान करेगा और संबंधित अभिलेखों या कार्यालयों का संदर्भ लेकर उसे सुधारेगा। इस प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार के निर्णय के अंतर्गत आरसीएस (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 88 में निहित प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) तृतीय चरण:-कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 5 प्राप्त करना - सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक से प्रपत्र 5 प्राप्त करेगा।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत कार्यवाही सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व पूरी की जाएगी।

9. उपर्युक्त स्व-व्याख्यात्मक अनिवार्य प्रावधानों में यह भी प्रावधान किया गया है कि नियम 80 के अनुसार फाइल संसाधित न होने की स्थिति में, सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी विलंबित भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने देरी के लिए कोई दोष न बताया हो।

10. वर्तमान मामले में भी, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से गलत बयानी या छिपाने के माध्यम से दोषी नहीं था, जिससे उसे अपने वित्तीय अधिकार के प्रेषण में देरी के कारण किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। ब्याज के अधिकार के लिए नियम 89 का संदर्भ लिया जा सकता है जो निम्नानुसार है: -

"**89.** सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज

(1) यदि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान उसके देय होने की तिथि से 60 दिन के पश्चात प्राधिकृत किया गया है, तथा यह स्थापित हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी द्वारा इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण नहीं हुआ है, तो सेवानिवृत्ति लाभों के देय होने की तिथि से सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकृत होने के माह से पूर्व के माह के अंत तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

(2) सेवानिवृत्ति लाभों के विलम्बित भुगतान के प्रत्येक मामले की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वप्रेरणा से की जाएगी तथा विभाग प्रमुख के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित किया जाएगा, तथा जहां प्रशासनिक विभाग संतुष्ट हो कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक चूक या निष्क्रियता के कारण हुआ है, वहां संबंधित प्रशासनिक विभाग निदेशक, पेंशन विभाग को ब्याज के भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करेगा।

(3) ऐसे सभी मामलों में, जहां ब्याज का भुगतान अधिकृत किया गया है, संबंधित प्रशासनिक विभाग सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में विलम्ब के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के अंतर्गत उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा तथा पेंशनभोगी को ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी से करेगा।

(4) प्रशासनिक विभाग ब्याज के भुगतान के आदेश में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा उससे वसूली योग्य ब्याज की राशि का भी उल्लेख करेगा।

(5) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप उसकी सेवानिवृत्ति पर पहले से भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों की राशि में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की जाती है:-

(क) उन परिलब्धियों से अधिक परिलब्धियां प्रदान करना, जिन पर पहले से भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित किए गए थे, या

(ख) संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व की तिथि से इन नियमों के प्रावधानों में उदारीकरण किया जाना। सेवानिवृत्ति लाभों पर बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(6) यदि पेंशन विभाग में कोई विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा पेंशनभोगी को भुगतान किए गए ब्याज की वसूली के लिए ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

नोट

(i) सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान देय हो जाता है तथा सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए आवेदन की तिथि से देय हो जाता है।

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, कार्यवाही के समापन तथा उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक अनंतिम पेंशन को छोड़कर कोई सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाही के समापन पर

(क) कोई सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से दोषमुक्त हो जाता है तो सेवानिवृत्ति लाभों को सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद की तिथि से देय माना जाएगा तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज उस तिथि से देय माना जाएगा, जिस तिथि को ग्रेच्युटी देय हुई है। विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि पर प्रचलित ब्याज दर होगी।

(ख) यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी न्यायिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मर जाता है और जिसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि से मृत्यु की तिथि तक की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ग) अन्य मामलों में, यदि कार्यवाही के समापन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि को सेवानिवृत्ति लाभ देय माना जाएगा।

11. उपर्युक्त आधार पर, रिट याचिका को आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, तथा प्रतिवादियों को उक्त नियम 89 के अनुसार ब्याज के भुगतान के आदेश का पालन करने का आदेश दिया जाना चाहिए। ब्याज के लिए आवश्यक गणना 3 महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए तथा याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार बकाया राशि दी जानी चाहिए।

12. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।